



Neutral Citation-2026:AHC:20769

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 3178 / 2026

रितेश यादवयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अंकित कुमार सिंह, राम नरेश निगम, रितेश सिंह, सुरेश सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् नायब तहसीलदार, खोरावार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के तहत मामला संख्या 13255/2023, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



T202305310313255 (रितेश यादव बनाम सुरेंद्र यादव) का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करें।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निपटारा एक समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार, दाखिल-खारिज के निर्विवाद मामलों का निपटारा मामले की पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और दाखिला खारिज के विवादित मामलों का निपटारा 90 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे; और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण अभिलिखित किया जाएगा।"

5. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, फिर भी आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् नायब तहसीलदार, खोरावार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, उपर्युक्त मामले का निपटारा उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें। राजस्व संहिता नियम, 2016, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पांडेया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"